

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2960088)

पत्रांक २६७/१४-१(४४६९९/२०२०)दिनांक: अलीगढ़:जुलाई:२५, २०२३

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-१९८०,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस- आगरा मार्ग) किमी० ०३ (चैनेज-२.२४३) की बांयी पटरी खसरा संख्या-१० में मै० इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ०.०६९७७७ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यूपी०/एप्रोच/४४६९९/२०२०

सन्दर्भ:- १- भारत सरकार की पत्र सं०-०८बी/यूपी०/०६/६८/२०२२/एफ.सी./१७४ दिनांक ०९.०६.२०२३
२- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस का पत्रांक-१७०/१४-१ दिनांक १३.०७.२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के सन्दर्भित पत्र से उपलब्ध कराया गया है, जो कि संलग्नक सहित ऑनलाइन कर निम्न प्रकार प्रेषित है:-

Sl.No.	Observation	Reply
1-	The DFO needs to immediately stop the unauthorized use of forest land for non forestry purposes and initiate action in accordance with clause 1.12 (1) of Forest (Conservation) Act Guidelines.	The unauthorized use of forest land for non forestry purposes has been stopped. accordance of forest conservation act guidelines with clause 1.21. Ex-post Facto approval and penal provisions; (ii) in case where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC- as per 1.21 (ii) (a) penalty for violation is enclosed (Enclousure-I)
2-	Details of person/officials responsible for violation of FC Act, 1980 needs to be submitted.	Details of person/ official responsible for violation of FC act, 1980 enclosed with this letter. (Enclousure-II)

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राकेश चन्द्रा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक-२६७/ दिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रबन्धक इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड आई०ओ०सी० भवन ६५/२ संजय प्लेस आगरा-२८२००२ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को उनके सन्दर्भित पत्र के कमा में सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश चन्द्रा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 170 / 14-1, दिनांक: हाथरस: जून, 13-7-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० 03 (चैनेज-2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 पर आई०ओ०सी०एल० द्वारा रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू०पी०/06/68/2022/एफ०सी०/174 दिनांक 09.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० 03 (चैनेज-2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 पर आई०ओ०सी०एल० द्वारा रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षा पातन की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर आख्या संस्तुति सहित निम्न प्रकार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र०स०	आपत्ति	निराकरण
1	The DFO needs to immediately stop the unauthorized use of forest land for non forestry purposes and initiate action in accordance with clause 1.12(1) of forest conservation act guidelines	. The unauthorized use of forest land for non forestry purposes has been stoped. accordance of forest conservation act guidelines with clause 1.21. Ex-post Facto approval and Penal provisions;(ii) In case where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC.As per 1.21(ii)(a)penalty for violation is enclosed (Enclosure-1)
2	Details of person/officials responsible for violation of FC Act,1980 needs to be submitted.	Details of person/ officials responsible for violation of FC Act,1980 enclosed with this letter . (Enclosure-2)

DM
आ०/आ०/क
वन संरक्षक
13/7

भवदीय,
(डा० चन्द्रप्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 170 / 35-1 दिनांक

प्रतिलिपि- प्रबन्ध आई०ओ०सी०एल० आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० चन्द्रप्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में Penalty की प्रस्तावित गणना

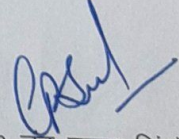
कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० 03 (चैनेज-2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 पर न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की विधिवत स्वीकृति से पूर्व कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 5-2/2017-FC दिनांक 28.03.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार निम्न प्रकार Penalty का प्राविधान किया गया है।

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

i- The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii- In case of public utility projects of the government, penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.

1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन०पी०वी०- प्रभावित वन भूमि $(0.069777) \times 9,57,780 =$ 66,831.00
2. प्रस्ताव के प्रक्रिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण - $2 \times 66,831 =$ 1,33,662.00
(वर्ष 2021 से उल्लंघन हेतु- 2 गुना)
3. 12 प्रतिशत Simple Interest = $1,33,662 \times 12\% =$ 16,039.00
4. दो वर्ष की एन०पी०वी० पर एक वर्ष का ब्याज $(16,039 / 2) =$ 8019.00
5. दो वर्ष की एन०पी०वी० का ब्याज $(8019 \times 2) =$ 16039.00
6. दो गुना एन०पी०वी० एवं दो वर्ष की एन०पी०वी० का ब्याज = 1,49,701.00
($1,33,662 + 16,039$)
7. Public Utility Project होने के कारण, कुल आगणित दण्डात्मक एन०पी०वी० का 20 प्रतिशत = 29,940.00
(रूपये उन्तीस हजार नौ सौ चालीस मात्र)


(डा० चंद्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

उल्लंघन सम्बन्धित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट

जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं0-10 में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु 0.069777 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव में बिना सक्षम स्तर से विधिवत् स्वीकृत प्राप्त किये बिना वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित 04 बिन्दु की रिपोर्ट:-

जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी0 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरी पर खसरा सं0-10 में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु 0.069777 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग किया गया है, जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के स्थाई आदेश सं0- प-35/ 11-2 दिनांक 03.05.2005 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के मामले में दी गई व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव निम्न प्रकार है:-

3. स्थल का विवरण, भूमि का क्षेत्रफल, मानचित्र, अवैध रूप से पातित किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण

(अ) स्थल का विवरण -

नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी0 03

(ब) भूमि का क्षेत्रफल -

नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) 0.06777 हे0

2. मानचित्र-प्रस्तावित स्थल का मानचित्र(ले-आउट प्लान)प्रस्ताव के साथ पूर्व से ही संलग्न है।

3. अवैध रूप से पातित किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण-प्रकरण में प्रभावित किसी भी वृक्ष को क्षति नहीं पहुँचाई गई है। अतः अवैध पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों की संख्या शून्य है।

4. एक स्पष्ट पूर्ण टिप्पणी में वर्णित की जायेगी और उसकी पुष्टि में यह दस्तावेज भेजे जायेंगे जिनमें खासकर उन अधिकारियों के नाम व पद नाम होंगे जो प्रथम दृष्टया अधिनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं।

कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी0 03 के मध्य बांयी पटरी पर खसरा सं0-10 में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु 0.069777 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो कि संस्तुति सहित उच्च स्तर द्वारा भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किया गया। जिस पर भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक-8 बी/यू0पी0/ 06/68/2022/एफ0सी0/146 दिनांक 21.06.2022 के द्वारा लगायी गयी आपत्ती संख्या-1 के कम में उक्त स्थल का दिनांक 25.07.2022 को पुनः निरीक्षण किया गया प्रस्ताव में सक्षम स्तर से विधिवत् स्वीकृत प्राप्त किये बिना वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर लिया गया है। अतः प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के मुख्य रूप से इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 प्रथम दृष्टया दोषी है।

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के अधिकारी/कर्मचारी /प्रतिनिधि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	नाम	पदनाम
1	2	3
1.	श्री विनय कुमार वार्ष्णेय,	प्रतिनिधि

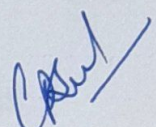
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के रोकने के लिए सम्बन्धित प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाये गये कदम का विवरण:-

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का निर्माण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में हाथरस रेंज के विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एच0-2 केस सं0 20/हाथरस/2022-23 दिनांक 25.07.2022 जारी कर सूचना दी गई है।

जिसमें निम्न कर्मचारियों के तत्समय कार्य क्षेत्र में होने के कारण उत्तरदायी है:-

क्र0सं0	नाम	पदनाम
1	2	3
1-	श्री शोभाराम ओझा	से0नि0 क्षेत्रीय वन अधिकारी हाथरस
2-	श्री अलीहशन	वनविद/वीट/सैक्शन प्रभारी

4. यदि किसी भूल-चूक जिसके कारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर पाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कागजों सहित एक पूर्ण स्पष्टीकरण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जायेगी- उक्त प्रस्ताव में उल्लंघन हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।


प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस।